राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

''ए'' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ 4 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–II/III/865 **जयपुर दिनांक** :29-09-23

परिपत्र

निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों एवं वर्तमान में जारी किये गए स्थानान्तरण आदेशों के संबंध में कतिपय स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तण होने के पश्चात् आदिनांक तक भी अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

सक्षम स्तर से जारी स्थानान्तरण आदेशों की पालना करने में कार्मिकों द्वारा विलंब किया जाना एक अत्यन्त गम्भीर विषय है। अतः अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के समस्त कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि इस परिपत्र की पालना में तीन दिवस में अपने स्थानान्तरण पर नवपदस्थापन कार्यालय/स्थान पर कार्यग्रहण कर यह सुनिश्चित करें कि उनकी कार्यग्रहण की सूचना ई–मेल/डाक/दस्ती से इस निदेशालय को अविलंब प्राप्त हो जाये, इसमें किसी भी प्रकार के विलंब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए कार्मिकों के विरूद्ध नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना किया जाना मानते हुए समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 4 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–II/III/865 **जयपुर दिनांक** :29-09-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी ....।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त परिपत्र की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. संबंधित कार्मिक .... को पालनार्थ।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) कार्यालय हाजा।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)

E:\DHEERAJ DATA D DRIVE DATA\DHEERAJ MAHESHWARI P-III\OFFICE ORDER.DOCX 21